फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

धारा 116

...क आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11/10/23	पत्रावली इजलास पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत डिक्री किये जाने बाद) पेश हुआ शामिल मिसल हो। वादीगण की पहचान वकील अधिवक्ता वादीगण श्री पी सी चौधरी ने की। प्रतिवादी क्र. 1, 2, 3, 7, 8, 9, उपस्थित प्रतिवादी उक्त की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता ने की। वादीगण की ओर से प्रा० पत्र को वादीगण व उक्त प्रतिवादीगण को पढ़कर सुनाया गया। पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र डिक्री किये जाने बाद को सुनकर सोच समझ कर सही होना स्वीकार किया। वादीगण व प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी किये गये। वाद को डिक्री किये जाने की सहमति दी गई। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नकल से खारिज होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	Badald कैलाश [illegible] अनि डौला राजेन्द्र राधेश्याम [illegible] [illegible] जानी देवी Identifies by [illegible] 11.10.23 अनि मंहगा [illegible] अनि नारायण [illegible] राम जाट [illegible] [illegible] लाल जाट Defendants Identified by [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Sing
Date: 2024.02.02 10:31:09 IST
Reason: SelfAttested